IV 16/2010

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY
9 JUN 902362
KONCH JALAUN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

भगवान सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट

यह विलेख आज दिनांक 21.06.2010 को श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री भगवान सिंह निवासी तिलक नगर कोंच, जनपद जालौन, उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया है :–

1. ट्रस्ट का नाम : भगवान सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता : तिलक नगर कोंच, जनपद जालौन, उ0प्र0
3. शाखा कार्यालय : ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन : ट्रस्ट में लगाया गया धन 2100/–दो हजार एक सौ रुपया नगद धनराशि श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0श्री भगवान सिंह द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।

"भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के

(श्रीमती शीतिल निरंजन)
वाइस चैयरमैन
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

(श्रीमती सुशीला देवी)
चैयरमैन/प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY

3 JUN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739593

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे –

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री भगवानसिंह .... मुख्य ट्रस्टी (चेयरमैन) निवासी– तिलक नगर कोंच, जनपद जालौन, उ0प्र0
2. श्री शीतला निरंजन पत्नी श्री शत्रुघनसिंह .... ट्रस्टी (वाइस चेयरमैन) निवासी ग्राम जौरी, पोस्ट नगरा, जिला झाँसी, उ0प्र0
3. श्रीमती रागिनी निरंजन पत्नी श्री मनोज सिंह.................... ट्रस्टी (सदस्य) निवासी जवाइनं, पोस्ट– कुरॉव, इलाहाबाद।

4. ट्रस्ट के उद्देश्य :–

1. शिक्षा का प्रकार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत् संचालन कर छात्र छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं सामाजिक व कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2. शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेत स्कल

(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
Principal

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
Manager

(श्रीमती सुशीला देवी)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739594

कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पी.जी. कॉलेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत् संचालन कर युवक युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना।

3. निर्धन, अनाथ, अपंग, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनकी छात्रवृति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवम् पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायाम शाला की व्यवस्था करना एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं को आयोजित करना।

4. शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा संस्थानों की स्थापना, विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.सी.आई.सी. एस.सी. शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनका विधिवत् प्रबन्धन, संचालन करना।

5. युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिये निःशुल्क छात्रावास, केन्द्रों, व्यायाम शाला, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छात्रवृतियां दिलाना।

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Principal

(श्रीमती शीतली निरंजन)
वाइस चेयरमैन
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Manager

(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739595

6. नागरिकों के सर्वांगींण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

7. नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जाग्रत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैन्सर, हैपेटाईटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्य निषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना।

8. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों, निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों, राहत शिविरों, जन जाग्रति शिविरों, कला प्रदर्शनी, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन, मद्य निषेध कार्यक्रम चलाना।

9. समय में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

(श्रीमती शीतला निरंजन) (श्रीमती सुशीला देवी)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739596

10. अल्प संख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, अल्प संख्यक कल्याण विभाग एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों के सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित कर कौम व देश की तरक्की करने का प्रयास करना।

11. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, निःशुल्क औषधालयों का निर्माण व उनके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना।

12. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गंदे पानी की निकाशी हेतु नाली, कच्चे–पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण करना।

13. निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कला केन्द्रों व बाल श्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रम विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, सेवायोजनों द्वारा अल्प आयु के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में सेवायोजित न होने देना।

Principal (श्रीमती ...) सुशीला देवी (श्रीमती सुशीला देवी) चेयरमैन/प्रबन्धक Manager शीतला निरंजन (श्रीमती शीतला निरंजन) वाइस चेयरमैन

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739597

14. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्मनिर्भर व स्वाबलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, तकाई, बुनाई, हस्त शिल्प कला, वास्तु कला, दस्तकारी, दरी–कालीन, ड्राइंग पेन्टिंग कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण "हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इंटरनेट" फैशन, डिजाइनिंग, टैक्स्टटाइल डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

15. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क, खड़ंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना, निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे– शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या का समाधान करना।

16. कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नत

सुशीला देवी
(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक

शीतला निरंजन
Manager (श्रीमती शीतला निरंजन)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY 3 JUN 2010 KONCH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 739598

कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार–प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करना एवं किसानों की समस्याओं को सुलझाना व शासन–प्रशासन तक पहुंचाना।

17. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिऐ प्रेरित करना एवं जगह–जगह वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।

18. संचालित धर्मार्थ संस्थानों की नियमित सफाई व उसके रख–रखाव का पूर्ण प्रबंध करवाना एवं विशेष त्यौहारों जैसे–ईद, बकरा ईद आदि त्यौहारों पर साज–सज्जा की उचित व्यवस्था करना।

19. मुसाफिरखाना, मदरसा, स्कूल आदि संस्थानों की बुनियाद रखना व उनका रख–रखाव, विकास एवं उचित देखभाल का प्रबन्ध करना।

20. पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण सम्बर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं वन्य जीवों के लिऐ पशु चिकित्सालय, पशु शाला, गौ संबंर्द्धन व संरक्षण करना व गौ शाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Principal

सुशीला देवी (श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Manager

शीतला निरंजन (श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 738509

21. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण, प्रशोधन, पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

22. खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं प्रिजरवेशन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी सेरियली प्रोसेसिंग, मांस मछली प्रसंस्करण पोलट्री एग प्रोसेसिंग, मशरूम स्पान प्रोसेसिंग, ऑयल प्रोसेसिंग इत्यादि का संचालन करना।

23. जल प्रबन्धन, कृषि अभियंत्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यांत्रिक आविष्कार अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना।

24. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे– अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांगों व निराश्रित, लाचार बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना, बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना तथा उनके पुर्नवास हेतु उन्हें अल्प आयु के आवास की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।

25. विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना व बेरोजगार युवक

WORLD PUBLIC SCHOOL Principal

सुशीला देवी
(श्रीमती सुशीला देवी)
चैयरमैन/प्रबन्धक

WORLD PUBLIC SCHOOL Manager

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चैयरमैन

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SUB TREASURY KONCH (JALAUN)

युवतियों एवं विधवा, अनाथ, परित्यक्ता महिलाओं एवं वृद्धजनों व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर नागरिक बनाना।

26. उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।

27. अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत सयंत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।

28. अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिऐ विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यक्रम एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला एवं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

30. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग, मंत्रालयों जैसे–स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ, हुडको,

Principal — (श्रीमती सुशीला देवी) चेयरमैन/प्रबन्धक — Manager — (श्रीमती शीतला निरंजन) वाइस चेयरमैन

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH —10— 04AA 739001

महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट काई सिप्सा नावार्ड आवार्ड नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधि, महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन, वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, डी.आर.डी.ए., केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

31. महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना तथा महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम चलाकर महिलाओं में जागरूकता लाना व उन्हें स्वरोजगार बनाना।

32. समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों को खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्टियों की नियुक्ति ट्रस्ट में सचिव पद मुख्य ट्रस्ट के पास आजीवन रहेगा तथा

सुशीला देवी
(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये   रु.20   भारत   Rs.20   TWENTY RUPEES   INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY 3 JUN 2010 KONCH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   04AA 739602

इनकी मृत्यु के बाद इनके द्वारा नामित तथा उनका उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्ट का सचिव होगा। ट्रस्ट के सदस्य सभी सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।

संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य– ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं कि प्रबन्ध समितियों में मुख्य ट्रस्टी को सचिव पद के लिये भेजा जायेगा। सचिव ही महाविद्यालय/विद्यालय का प्रबन्धक होगा। अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिये मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझें, ट्रस्टी सदस्यों में भेजा जा सकता है।

ट्रस्टियों की संख्या – ट्रस्टियों की संख्या सचिव को मिलाकर तीन होगी, जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेगें।

ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

1. अध्यक्ष– ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख अवसरों पर सभा की अध्यक्षता करेगें।

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL ORAI (JALAUN) Principal

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL ORAI (JALAUN) Manager

2. सचिव–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

सुशीला देवी (श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

193AA 706044

−12−

2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार व प्रसार करना।

3. ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त करना तथा उसको संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

4. दान–अनुदान, चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों को उनकी रसीद देना, ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।

5. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/कॉलेजों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

6. ट्रस्ट के उपरोक्त कार्यकलापों, गतिविधियों एवं अन्य सम्बन्धित विषयों पर ट्रस्टियों में मतभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती देने का अधिकार किसी ट्रस्टी सदस्य को नहीं होगा।

7. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों महाविद्यालयों के लिये विशिष्ट सदस्यों की

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Principal

सुशीला देवी
(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक
स्व. श्री भगवान सिंह ...

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Manager

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

93AA 706045

9. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, डाफ्टों, बंधक विलेखों, बिल बाउचर पर हस्ताक्षर करना।

लेखा परीक्षक –

संस्था के आय–व्यय, बही पत्रों की समय–समय पर जांच करना व उनका निरीक्षण कर सत्र समाप्ति कर ऑडिट करना, करवाना, ऑडिट रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से सचिव के सम्मुख रखना।

ट्रस्टियों में से कोई भी ट्रस्टी का अवसान मृत्यु या कोई भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मण्डल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर या 2/3 बहुमत से निर्णय के आधार पर संस्था पद समाप्त हो जाता है तो ऐसे पद स्थान रिक्त होने पर ट्रस्ट के सचिव को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कॉलेजों, चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, परित्यक्ता महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि के रोग निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का

सुशीला देवी (श्रीमती सुशीला देवी)
चैयरमैन/प्रबन्धक

शीला निरंजन (श्रीमती शीला निरंजन)
वाइस चैयरमैन

14

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SUB TREASURY
93AA 706046
KONCH (JALAUN)

जीर्णोद्धार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों का दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

अध्यक्ष–

1. महाविद्यालय की प्रत्येक सभा में प्रमुख स्थान पर रहेगें एवं सभाओं की अध्यक्षता करेगें।

सचिव–

1. विद्यालयों की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

2. विद्यालयों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।

3. विद्यालय हित में चन्दा प्राप्त करना व उसके संस्था कोष में जमा करना। महाविद्यालय की अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना, दान–अनुदान, चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रसीद देना।

4. विद्यालय के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना। सुशीला देवी

(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
Principal

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL
Manager

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AA 706047

5. महाविद्यालय व कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

6. महाविद्यालय के उपरोक्त कार्यकलापों, गतिविधियों एवं सम्बन्धित विषयों पर सदस्यों में मतभेद होने की स्थिति में अपना अन्तिम निर्णय देना जिसे चुनौती देने का अधिकार किसी सदस्य को न होगा।

7. विद्यालय की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर दो माह में नई कार्यकारिणी समिति का विधिवत् निर्वाचन करना।

8. कॉलेज की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

9. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, डाफ्टों, बंधक बिलों, बिल बाउचर पर हस्ताक्षर करना।

10. यदि आवश्यकता पड़े तो ट्रस्ट डीड में अन्य ट्रस्टियों की सहमति से संशोधन करना तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सर्व सम्मति से संशोधन या किसी तत्व को

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Principal

सुशीला देवी

(श्रीमती सुशीला देवी) चेयरमैन/प्रबन्धक स्व. श्री भगवान सिंह

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL Manager

शीतला निरंजन

(श्रीमती शीतला निरंजन) वाइस चेयरमैन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

93AA 706048

हटाने के उपरान्त कार्य करना/कराना।

अतः यह न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) लिख दी कि सनद रहे और भविष्य में काम आवे। ड्राफ्ट द्वारा– कृष्णकान्त शाण्डिल्य, एडवोकेट, मुहल्ला जवाहर नगर कोंच। तहरीर तारीख– 21.06.2010 पक्षकारान के फोटो का मिलान के0के0 शाण्डिल्य एडवोकेट ड्राफ्टकर्ता ने की है तथा पक्षकारान के हस्ताक्षरों की शिनाख्त गवाहों ने की है।

1. हस्ताक्षर सुशीला

2. हस्ताक्षर शीतला निरंजन

1. हस्ताक्षर गवाह व पता : [signature] लाजपत नगर कोंच (जालौन)

2. हस्ताक्षर गवाह व पता : [signature] कृष्ण कान्त शाण्डिल्य एड० जवाहर नगर कोंच

सुशीला देवी
(श्रीमती सुशीला देवी)
चेयरमैन/प्रबन्धक
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय
उरई (जालौन)

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL ORAI (JALAUN) — Principal

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL ORAI (JALAUN) — शीतला निरंजन — Manager

शीतला निरंजन
(श्रीमती शीतला निरंजन)
वाइस चेयरमैन
स्व. श्री भगवान सिंह महाविद्यालय

21/6/2010

II 13 343/376

16

21-6-2010

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL * ORAI (JALAUN) *

Principal

DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL * ORAI (JALAUN) *

Manager